पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण

प्राप्तिः 28.11.25
स्वीकृतः 15.12.25

83

मनोज कुमार वर्मा
शोध छात्र (राजनीति विज्ञान विभाग)
सी. एम. पी. डिग्री कॉलेज,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज (उ.प्र.)
ईमेलः vermamanojkumar42@gmail.com

डॉ. अनिल श्रीवास्तव
असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान विभाग)
सी. एम. पी. डिग्री कॉलेज,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज (उ.प्र.)

सारांश

भारत में प्राचीनकाल से ही पंचायती राज संस्थाओं की विद्यमानता रही है लेकिन इन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी लगभग नगण्य रही, जिससे महिला सशक्तिकरण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती नहीं मिल सकी। भारत में पंचायती राज संस्थाओं को समावेशी बनाने और निचले स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' को आवश्यक माना गया। इस परिप्रेक्ष्य में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 एक ऐतिहासिक कदम थी, जिसने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी और महिलाओं सहित कमजोर वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। इस संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसने ग्रामीण भारत में महिला भागीदारी और उनके सशक्तिकरण के लिए नये अवसर प्रदान किये। यह कदम न केवल महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुआ है बल्कि सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन का भी आधार बना है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने स्थानीय शासन को अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बनाया है और स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पोषण, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता प्रदान की है।

परंतु इन संस्थाओं में महिलाओं की वास्तविक प्रतिनिधित्व की समस्या (प्रधान पति की प्रथा), शिक्षा, जागरुकता, नेतृत्व कौशल और प्रशिक्षण की समस्या, पितृसत्तात्मक मानसिकता, आर्थिक निर्भरता, तकनीकी जानकारी का अभाव आदि चुनौतियां महिला सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न करती है और उनकी स्वायत्तता को प्रभावित करती है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए महिलाओं की शिक्षा, प्रशिक्षण, नेतृत्व क्षमता के निर्माण पर बल दिया जाना चाहिए, साथ ही महिलाओं में आर्थिक स्वावलंबन, तकनीकी और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा और अपने अधिकारों के प्रति जागरुकता का प्रसार किया जाना चाहिए, इससे

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.83

महिलाएँ न केवल पंचायतों के संचालन को प्रभावी बना सकती है बल्कि लोकतांत्रिक प्रणाली को भी अधिक समावेशी और न्यायसंगत बना सकती है।

मुख्य शब्द

पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व

प्रस्तावना

मानव विकास के इतिहास में स्त्री का उतना ही महत्व रहा है जितना कि पुरुष का। वास्तव में समाज में महिलाओं की स्थिति, रोजगार और उनके द्वारा किये गये कार्य किसी राष्ट्र की समग्र प्रगति के सूचक है। राष्ट्रीय गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी के बिना किसी देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति सतत तथा समावेशी नहीं हो सकती है। महिलाएँ परिवार को संभालने, उनका पालन–पोषण करने और भोजन के साथ–साथ कृषि कार्य, पालतू पशुओं की देखभाल आदि घरेलू कार्यों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। इसके अतिरिक्त, महिलाएं शिक्षा और कौशल आधारित रोजगार एवं अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों जैसे वाह्य कार्यों में संलग्न होकर स्वयं तथा परिवार के लिए अतिरिक्त आय का सृजन भी करती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया जाने लगा कि महिलाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका और भागीदारी निभानी चाहिए जिससे महिलाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान और नेतृत्व क्षमता का विकास तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके और यह भागीदारी देश के निचले स्तर के लोकतंत्र से शुरुआत की जानी चाहिए।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है– महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक, राजनीतिक और कानूनी रुप से सक्षम बनाना ताकि वे आत्मनिर्भर होकर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सके। इसके लिए महिलाओं को समान अधिकार, अवसर और स्वतंत्रता प्रदान करना है जिससे वे अपने क्षमता निर्माण और नेतृत्व विकास संबंधी निर्णय ले सके। यह केवल औपचारिक अधिकारों के हस्तांतरित करने तक सीमित नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार, महिला सशक्तिकरण सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का एक महत्वपूर्ण अंग है।[1] स्थानीय स्तर पर राजनीतिक भागीदारी इस सशक्तिकरण का व्यावहारिक रुप है।

पंचायती राज व्यवस्था में महिला भागीदारी और सशक्तिकरण का इतिहास–

प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान सर्वोपरि तथा उनके सम्मान और सशक्तिकरण की समृद्ध परंपरा रही है। वैदिक काल में महिलाएं शिक्षा, शास्त्रार्थ और शासन प्रक्रिया में सक्रिय थी और महिलाओं को लगभग पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे वह वैदिक काल की सभा व समिति की स्वशासी संस्थाओं में भागीदारी करती थी[2] जिससे उन्हें सामाजिक व राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त थी लेकिन इसके पश्चात के कालों में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आयी जिससे वह पंचायती राज व्यवस्था में भागीदारी से वंचित रही।

मध्यकाल में भी महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया और उन्हें घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया गया जिससे उनकी स्थिति और भी निम्नतर होती चली गयी। ब्रिटिश काल में पंचायती राज संस्थाओं के विकास की दिशा में अनेक कदम उठाये लेकिन महिलाओं

की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया क्योंकि अंग्रेजों का उद्देश्य अधिकतम राजस्व की प्राप्ति एवं लाभ अर्जित करना था।

गाँधी जी ने महिलाओं को उचित स्थान व सम्मान दिलाने पर जोर दिया और विभिन्न आंदोलनों में महिला भागीदारी एवं स्वतंत्रता को बढ़ाने का प्रयास किया। गाँधी जी ने कहा था कि भारत गाँवों में बसता है, स्वतंत्रता की शुरुआत नीचे से होनी चाहिए और इस बात पर जोर देना जरुरी है कि महिला सशक्तिकरण भी गाँवों से अर्थात् जमीनी स्तर की इकाइयों से शुरु होनी चाहिए।[3]

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली बार बलवंत राय मेहता समिति (1957) द्वारा पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंचायतों के तीनों स्तरों पर दो महिला सदस्यों को मनोनीत करने की सिफारिश की। समिति ने यह भी सुझाया कि इन दो महिलाओं का चयन करते समय यह देखना अनिवार्य है कि मनोनीत महिलाओं की महिला एवं बाल कल्याण में रुचि हो।[4]

अशोक मेहता समिति (1977) द्वारा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जिला परिषद व मण्डल पंचायत स्तर पर चुनाव में अधिकतम मत प्राप्त करने वाली दो महिलाओं को सदस्य बनाने की सिफारिश की।[5]

इस प्रकार विभिन्न समयावधि में महिलाओं की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भागीदारी पंचायतों में रही और स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन समितियों, महिलां मंचों के द्वारा महिला भागीदारी और उनको सशक्तिकरण करने का प्रयास किया गया परंतु पितृसत्तात्मक एवं रुढ़िवादी मानसिकता, घरेलू कार्यों को पूर्ण करने की बाध्यता, पंचायतों में महिलाओं भागीदारी की संवैधानिक बाध्यता का अभाव, शिक्षा व जागरुकता की कमी आदि के कारण पंचायतों में महिला भागीदारी एवं सशक्तिकरण की प्रक्रिया सफल नहीं हो पायी।

अतः पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 पारित किया गया। इस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 243 (घ) के द्वारा महिलाओं के लिए एक–तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया[6] और महिलाओं को जमीनी स्तर के लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व प्रदान करके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया।

पंचायती राज और महिला भागीदारी–

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान[7] किये गये –

1. त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना– ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया।
3. महिलाओं के लिए पंचायत के सभी स्तरों पर एक–तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया।

पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिला सशक्तिकरण –

1. **राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी–** महिलाएं पंचायत के विभिन्न स्तरों पर अध्यक्ष व सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीतिक भूमिका निभा रही है साथ ही वे महिलाओं एवं ग्रामीण विकास से भी जुड़े मुद्दे पर निर्णय भी ले रही है।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.83

2. **सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन–** पहले जहां रुढ़िवादी मानसिकता के कारण महिलाओं की स्थिति घरेलू कार्यों तक सीमित थी वह इस दृष्टिकोण में परिवर्तन लाकर सार्वजनिक जीवन में नई पहचान बना रही है।
3. **आर्थिक सशक्तिकरण–** पंचायत स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में महिलाएँ स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूहों और सरकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रुप से सक्षम हो रही है।
4. **नेतृत्व क्षमता का विकास–** पंचायतों में कार्य करते हुए महिलाओं में प्रशासनिक और नेतृत्व कौशल की क्षमता विकासत हो रही है जिससे वे आगे चलकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में नेतृव प्रदान कर सकती है।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है। लगभग 6.5 लाख गाँवों में रहने वाली देश की तकरीबन 65% आबादी के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम को जमीन पर उतारने के लिए लगभग 2.6 लाख ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और भूमिका है। महिलाओं को जमीनी स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए 20 से अधिक राज्यों ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता प्रदान करते हुए अपने महिला आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया है।[8] यह भी देखने में आया है कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में कई स्थानों पर महिला अनारक्षित सीटों पर खुली प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए भी पंचायत के पदों पर पहुंची है। वर्तमान में देशभर में पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 31.5 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि है जिसमें लगभग 46% महिलाएं है।[9]

पंचायतों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयास –

1. **नेतृत्व क्षमता का विकास–** पंचायती राज मंत्रालय द्वारा महिला पंचायत प्रतिनिधियों की नेतृत्व क्षमता को उभारने के लिए सतत रूप से कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' की शुरुआत की है, और जिसके द्वारा 2022–23 से 2024–25 के मध्य लगभग 23.14 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान कर दक्ष बनाया गया है।[10] इससे पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पर्याप्त क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण से उनके निर्णय लेने एवं पंचायत के कार्य करने की दक्षता में सुधार हुआ है।
2. **सशक्त पंचायत नेत्री अभियान**– यह एक देशव्यापी क्षमता निर्माण पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में महिला पंचायत प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है[11] इस पहल के द्वारा ग्रामीण शासन में महिलाओं में नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाकर नीतियों एवं शासन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।
3. **स्वामित्व योजना –** पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना[12] ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। देश के कई राज्यों ने 'स्वामित्व योजना' के तहत प्रदान किये जाने वालें संपत्ति कार्ड में महिला को भू–स्वामी के रूप में पूर्ण रूप से या संयुक्त रूप से पंजीकृत करने का प्रावधान किया है। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास में वृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण को गति मिली है।

पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण की चुनौतियाँ–

1. **पंचायतों में महिलाओं के वास्तविक प्रतिनिधित्व की समस्या –** प्रायः पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की जगह उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा निर्णय लिये जाते है और पंचायतों से संबंधित कार्य संपन्न किये जाते है। इससे पंचायतों में प्रधानपति नामक एक अनौपचारिक पद सृजित हो गयी है[13] जो महिलाओं की जन सहभागिता एवं उनके सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न करती है।
2. **शिक्षा और जागरुकता की कमी–** ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत कम है जिससे उन्हें नीतियों एवं योजनाओं तथा कानूनी प्रावधानों को समझने में कठिनाई उत्पन होती है। साथ ही महिला केंद्रित संचालित योजनाओं के बारे में जागरुकता के अभाव के कारण जनभागीदारी की कमी दिखायी देती है जो महिला सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न करती है।
3. **नेतृत्व क्षमता और आवश्यक प्रशिक्षण की कमी –** ग्रामीण स्तर पर निर्वाचित होने वाली महिला जनप्रतिनिधियों में प्रशासनिक कार्यों और राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में समझ का अभाव होता है जो उनकी नेतृत्व क्षमता को कमजोर करता है। इसके अतिरिक्त, पंचायत की गतिविधियों संबंधी प्रशिक्षण की कमी के कारण महिलाओं को पंचायतो के कार्यों को करने में समस्या उत्पन्न होती है।
4. **पितृसत्तात्मक मानसिकता और सामाजिक रुढ़ियाँ**– ग्रामीण भारतीय समाज में पुरुषवादी मानसिकता के कारण पंचायतों के निर्णयों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से पुरुषों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और महिला प्रतिनिधियों में पंचायतों के कार्य संचालन संबंधी स्वतंत्रता का अभाव पाया जाता है। साथ ही सामाजिक कुरीतियों (जैसे– जातिगत भेदभाव, पर्दा प्रथा, लिंग असमानता) के कारण महिलाएं पंचायतों के निर्णयों और कार्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पाती है।
5. **संसाधनों और तकनीकी ज्ञान की कमी–** पंचायतों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन और तकनीकी सहयोग न होने से महिलाओं को योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में कठिनाई होती है। तकनीक और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण महिलाओं को पंचायतों के कार्यों को समझने तथा योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करने में समस्या उत्पन्न होती है जिससे वे ग्रामीण स्थानीय शासन में भागीदारी से वंचित रहती है।
6. **आर्थिक निर्भरता –** निर्वाचित होने के बावजूद अधिकांश महिलाएं आर्थिक रुप से परिवार पर निर्भर रहती है। संसाधनों की कमी और सीमित आय के कारण वे स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती है।

पंचायती राज संस्थाओं में महिला सशक्तिकरण के लिए सुझाव –

1. **शिक्षा और जागरुकता का प्रसार –** ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की साक्षरता दर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे वे पंचायती राज अधिनियमों को समझ सके और अपने अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों का उपयोग कर सके। साथ ही विभिन्न सरकारी व गैर–सरकारी

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.83

संगठनों, महिला मंचों आदि के द्वारा महिलाओं में ग्रामीण शासन के प्रति जागरुकता का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे महिलाएँ पंचायती राज संस्थाओं में अधिक से अधिक भागीदारी कर सके।

2. **नेतृत्व कौशल और प्रशिक्षण को बढ़ावा–** पंचायतों में महिला नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए महिला केंद्रित कार्यशालाओं और नेतृत्व कौशल आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। साथ ही अनुभवी महिला प्रतिनिधियों को नई निर्वाचित महिलाओं का मेंटर बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त महिला जनप्रतिनिधियों को पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों एवं सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों के बारे में समय–समय पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
3. **डिजिटल साक्षरता और तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा –** ग्रामीण महिलाओं में इंटरनेट, कंप्यूटर संबंधी डिजिटल साक्षरता का प्रसार और नई प्रौद्योगिकी से अवगत कराया जाना चाहिए जिससे वे ग्रामीण शासन में अधिक भागीदारी व समावेशी भूमिका का निर्वहन कर सके।
4. **पितृसत्तात्मक मानसिकता एवं सामाजिक रुढ़ियों में परिवर्तन करना** – पंचायत स्तर पर ग्रामीण महिलाओं में जागरुकता अभियान चलाकर पुरुष प्रधान समाज की मनोवृत्ति में परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए जिससे पंचायतों में प्रधानपति की प्रथा को समाप्त किया जा सके। साथ ही पंचायत स्तर पर मीडिया, महिला मंचों, शैक्षणिक संस्थानों की सहायता से महिला सशक्तिकरण की सफलता की कहानियां प्रचारित करना चाहिए जिससे महिलाएँ पंचायतों में भागीदारी करने एवं नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रेरित हो सके।
5. **आर्थिक स्वावलंबन को प्रोत्साहित करना–** ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को बढ़ावा और महिला आधारित कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल देना चाहिए, इससे ग्रामीण महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा जो महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा।

पंचायती राज संस्थाएं भारत के लोकतंत्र की नींव है और इनमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी महिला सशक्तिकरण की कुंजी है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 इस दिशा में मील का पत्थर है। यह अधिनियम महिलाओं को प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है और इसका पंचायतों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने यह सिद्ध किया है कि जब उन्हें अवसर मिलता है तो वे शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, पोषण आदि विषयों पर प्राथमिकता से कार्य करती है इससे ग्रामीण प्रशासन अधिक संवेदनशील और जनोन्मुख हुआ है।

हालांकि वास्तविक जनप्रतिनिधित्व की समस्या, शिक्षा की कमी, सामाजिक रुढ़ियाँ और पितृसत्तात्मक सोच, आर्थिक निर्भरता आदि चुनौतियाँ महिला सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न करती है। अतः महिलाओं को पंचायतों में सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और नेतृत्व क्षमता का निर्माण, शिक्षा और जागरुकता, डिजिटल साक्षरता, आर्थिक स्वावलंबन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि उनका प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक न रहकर वास्तविक सशक्तिकरण में परिवर्तित हो सके।

संदर्भ

1. संयुक्त राष्ट्र (2015), हमारी दुनिया को बदलनाः सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा। https://sdg.un.org
2. बघेल, एस.पी. (अप्रैल, 2025), महिला नेतृत्व को सशक्त करती पंचायती राज व्यवस्था, कुरुक्षेत्र, नई दिल्लीः भारत सरकार।
3. श्रीवास्तव, पी., (अक्टूबर,2016), महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण और पंचायती राज, योजना(अंग्रेजी संस्करण), नई दिल्लीः भारत सरकार।
4. चंदेल, धर्मवीर तथा नरेंद्र कुमार चंदेल (2016), पंचायती राज और महिला सहभागिता, जयपुरः आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, पृ० सं०–**7**।
5. पूर्वोक्त ।
6. माहेश्वरी, एस. आर., (2023), भारत में स्थानीय शासन, आगरा : लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, पृ० सं०–**138**।
7. महीपाल,(2019), पंचायती राजः चुनौतियाँ एवं संभावनाएं, नई दिल्लीः राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, पृ० सं०–**26**
8. बघेल, एस. पी. (अप्रैल, 2025), महिला नेतृत्व को सशक्त करती पंचायती राज व्यवस्था, कुरुक्षेत्र, नई दिल्लीः भारत सरकार।
9. पूर्वोक्त।
10. पूर्वोक्त।
11. पूर्वोक्त।
12. https://svamitva.nic.in
13. तिवारी, संत कुमार, (2022), पंचायती राज, नई दिल्लीः एस. जी. एस. एच. पब्लिकेशन, पृ० सं०–**125**।